कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनोपरान्त श्री सुरेश कुमार का पदस्थापन व्याख्याता इतिहास के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था / सी–2 / नियुक्ति–इतिहास / पीएससी–15 / 2017–18 दिनांक–27.06.2017 द्वारा राउमावि ओरिया–आबूपर्वत–सिरोही में किया गया। उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्व श्री सुरेश कुमार ने माननीय उच्च नयायालय जयपुर में याचिका संख्या 18951 / 2018 सुरेश कुमार बनाम सरकार दायर की। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2018 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) द्वारा यथासंभव 04 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन व यह अभिकथन किया गया हैं उससे कम वरीयता वाले चयनित उम्मीदवारों को उनके गृह जिले में पदस्थापित किया गया हैं जबकि याचिकार्थी के गृह जिलें की सम्पूर्ण रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किया गया। जिसके कारण उन्हें गृह जिलें में पदस्थापन नहीं मिल सका। याचिकार्थी द्वारा उनका पदस्थापन उनके गृह जिले झुंझुंनूं में व्याख्याता के रिक्त पद पर करने का निवेदन किया गया है। 1.राउमावि डूमोलीकलां बुहाना 2.सेठ एसडीराय जेपीमुरारका राउमावि बदवासी–नवलगढ़ 3.राउमावि मावता–उदयपुरवाटी 4. श्री नाथू सिंह राउमावि नेवारी–उदयपुरवाटी।

याचिकार्थी से संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार एवं विभाग के नियमों एवं परिपत्रो एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व वर्णित प्रकरण अन्जू मीणा बनाम सरकार के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया गया। कांउसलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही प्रदर्शित किया जाता हैं। पूर्व में याचिकार्थी ने विकल्प पत्र प्रस्तुत कर पदस्थापन स्थान का चयन किया। जहां तक अन्जू मीणा के प्रकरण का प्रश्न है तो वह याचिकार्थी के प्रकरण से पूर्णतया भिन्न हैं। व्याख्याता का पद राज्यस्तरीय पद है, व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। अतःयाची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / संस्था / सी–2 / कोके / याचिका सं0 18951 / 2018 / सुरेश कुमार / दिनांक– 18/12/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2.संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जयपुर / अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर